<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक अपील संख्या : **01/2019**

लक्ष्मण पुत्र नन्दा, निवासी ठीकरदा,
पुलिस थाना दबलाना, जिला बून्दी (राज.)

-अपीलार्थी/अभियुक्त

<u>विरूद्ध</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी

-प्रत्यर्थी/अप्रार्थी

<u>तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी श्रीमती विनीता यादव द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 102/2011 सी.आई.एस. संख्या 562/2014 राजस्थान राज्य विरूद्ध लक्ष्मण व अन्य अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अपराध में दिनांक 14.12.2018 को पारित निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपील</u>

उपस्थितः-
1. श्री अमर सिंह राठौड़, अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता.
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक: 30.03.2026</u>**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण ने हस्तगत फौजदारी अपील विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी के नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 102/2011 सी.आई.एस. नम्बर 562/2014 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 14.12.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 380 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/-रूपये अर्थदण्ड, अदम

अदायगी अर्थदण्ड 01 माह के अतिरक्त कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी देवलाल ने दिनांक 11.06.2010 को पुलिस थाना तालेड़ा में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज सुबह 3:00 ए.एम. रात को अज्ञात लोग मोटरसाईकिल पर सवार होकर आये तथा घर पर रखी आलमारी को तोड़कर बीस हजार रूपये कैश चुराकर व दुकान में रखे दो सिलेण्डर खाली व भरी टंकी को ले गये। जब वे रंगीन टीवी व सीडी ले जा रहे थे, तब दुकान पर सो रहे नरेश गुर्जर, शंकर व प्रमोद वर्मा ने एक आदमी को टीवी व सीडी लेकर जाते हुए देखा तो चोर-चोर की आवाज करने पर बाईक गिर गई तथा उस पर सवार दो युवक भी गिर गये, जिसके तुरन्त बाद पिछले आदमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया तथा दो युवक मोटरसाईकिल से भागने में कामयाब हो गये। पुलिस को सूचित कर चोर को पुलिस के सुपुर्द किया गया।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना तालेड़ा जिला बून्दी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-249/2010 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया तथा आवश्यक सम्पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त व एक अन्य सहअभियुक्त मनोज के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. के तहत आरोप प्रमाणित पाए जाने से उक्त धाराओं का आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायायल में प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी/ अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2012 को अपीलार्थी/अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्त मनोज को धारा 457, 380 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. इस प्रकरण के सहअभियुक्त मनोज कुमार उर्फ मुकेश की मृत्यु हो जाने से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई।

6. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू-1 देवलाल, पी.डब्ल्यू-2 बजरंगलाल, पी.डब्ल्यू-3 नरेश, पी.डब्ल्यू-4 धनकंवर, पी.डब्ल्यू-5 प्रमोद, पी.डब्ल्यू-6 राधेश्याम, पी.डब्ल्यू-7

Authenticated Document

शंकरलाल, पी.डब्ल्यू-8 सैयद अनवर, पी.डब्ल्यू-9 रामकरण, पी.डब्ल्यू-10 रामरतन व पी.डब्ल्यू-11 विनोद कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, नक्शा मौका प्रदर्श पी-2, फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी-3, एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-4, फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी-5 व पी-6, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-5 व पी6 (रिपीट), फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-7 व पी-8, फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी-9, तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-10, फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी-11 को प्रदर्शित करवाया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त का धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण किया गया, तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताकर स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

8. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर आक्षेपित निर्णय दिनांकित 14.12.2018 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 457, 380 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया जाकर उक्तानुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है:-

(1) विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.12.2018 वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

(2) हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को मौके पर चोरी का सामान ले जाते हुए पकड़ा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम नहीं है। चश्मदीद गवाह द्वारा अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वारदात के समय अपीलार्थी/अभियुक्त चोरी करने गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर न कर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की गई है।

(3) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-3 नरेश परिवादी का भाई है, जो हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध साक्षी है, जिसके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

(4) पी.डब्ल्यू-5 प्रमोद द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में भी उसने कथन किया है कि किसके यहां पर चोरी हुई उसे पता नहीं है। वह अभियुक्त को नहीं पहचानता है। इस प्रकरण का साक्षी पी.डब्ल्यू-7 शंकरलाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है। नक्शा मौका का गवाह भी मजबूत साक्षी नहीं है। इन सभी तथ्यों पर गौर न कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की गई है।

(5) अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय व दण्डादेश को अपास्त किया जावे।

9. उभयपक्ष को ध्यानपूर्वक एवं विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

10. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के ज्ञापन में उठाये गये आधारों की पुनरावृत्ति करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त को मौके पर चोरी का सामान ले जाते हुए पकड़ा गया था, किन्तु फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध करवाई गई है। उनका आगे यह भी कहना रहा है कि रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करवाई गई है, जबकि अभियोजन साक्ष्य के दौरान पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित परिवादी देवलाल ने स्पष्ट रूप से मौके पर पकड़े गए व्यक्ति का नाम लक्ष्मण होना बताया है, इस तर्क को उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष भी रखा था, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य एवं विरोधाभास के संबंध में साक्ष्य का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर केवल सरसरी तौर पर दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः कयास पर आधारित होकर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि से ग्रस्त रहा है।

11. उनका यह भी कहना रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मौके पर पकड़े गए एक चोर को पुलिस को सुपुर्द किए जाने का भी अंकन किया गया था, जबकि कार्यवाही पुलिस में चोर की पुलिस को सुपुर्दगी के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य के संबंध में

Authenticated Document

भी अपने आक्षेपित निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है, जो प्रकरण के निर्णय का एक अहम पहलू था, जिसके अभाव में संपूर्ण आक्षेपित निर्णय गंभीर रूप से तथ्यों एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

12. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी एक तर्क रहा है कि प्रकरण में बताई गई जब्ती के सभी गवाहान् पुलिसकर्मी हैं तथा कोई स्वतंत्र गवाह जब्ती के नहीं रखे गए हैं। इसके बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय ने किस आधार पर जब्ती को प्रमाणित माना, इसका कोई उल्लेख अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं किया है, जिससे संपूर्ण आक्षेपित निर्णय गंभीर रूप से विधिक त्रुटि से ग्रसित होना परिलक्षित होता है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

13. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुये, उपलब्ध साक्ष्य का तार्किक विश्लेषण कर आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

14. उभयपक्ष के तर्कों पर गहनतापूर्वक मनन किया गया तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

15. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय हैः-

''आया विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.12.2018 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण को धारा-457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषसिद्ध करने में कोई तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है ?''

16. उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में उभय पक्ष द्वारा की गई बहस के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट रहा है कि हस्तगत प्रकरण

परिवादी देवलाल की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर संस्थित रहा है, जिसमें उसने रात्रि के समय अज्ञात लोगों का मोटरसाईकिल पर सवार होकर आना तथा आलमारी को तोड़कर बीस हजार रूपये नकद, दुकान में रखे दो सिलेण्डर व टंकी तथा टीवी व सीडी ले जाने के दौरान आवाज करने पर उनकी मोटरसाईकिल गिर जाना, जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्तियों का गिर जाना, जिनमें से दो व्यक्तियों का भाग जाना एवं एक व्यक्ति को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किये जाने का अंकन किया गया। पुलिस थाना तालेड़ा द्वारा इस तहरीरी रिपोर्ट पर धारा 457, 380 भा.दं.सं. का मामला बनना पाये जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पंजीबद्ध करना तथा अनुसंधान के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्त मनोज के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये अन्य अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ मुकेश की अन्वीक्षा की दौरान मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करना तथा अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण के विरूद्ध धारा-457 व 380 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराधों के आरोप प्रमाणित पाये गये है, जिसके सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के तर्को के प्रकाश में आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किये जाने पर इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं परिवादी देवलाल पी.डब्ल्यू.1 रहा है, जिसने मुख्य रूप से यह साक्ष्य दी है कि रात करीब दो तीन बजे टी.वी.खोलने की आवाज आने पर भागकर गया और देखा तो दो लोग चोरी करने वाले मोटर साईकिल पर बैठते ही टी.वी सहित मोटर साईकिल से नीचे गिर गये, जिनमें से एक को मौके पर पकड लिया था और दूसरा मोटर साईकिल लेकर भाग गया था। उनके यहां से सिलेण्डर, बीस हजार रूपये और टीवी चोरी हुआ था। सिलेण्डर न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर लिया था। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से केवल औपचारिक प्रतिपरीक्षण ही किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण की अपराध में संलिप्तता नहीं होने के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिपरीक्षण नहीं रहा है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.3 नरेश ने भी रात के तीन बजे चोर चोर की आवाज सुनकर जागने पर दो लोगों का मोटर साईकिल पर सीडी और टीवी रखकर भागना तथा अचानक पीछे वाले का गिर जाना,

Authenticated Document

जिसके द्वारा अपना नाम लक्ष्मण बताया जाना अभिकथित किया है। इसी प्रकार की साक्ष्य पी.डब्ल्यू.4 धनकंवर ने दी है तथा पी.डब्ल्यू.5 प्रमोद ने भी दो लोगों का टीवी लेकर मोटर साईकिल पर जाना, टी.वी.का नीचे गिर जाना तथा एक व्यक्ति को मौके पर पकड लिया जाना, जिसका नाम लक्ष्मण होना अभिकथित करते हुये अपनी साक्ष्य दी है, जिनसे बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण अवश्य किया गया है, किन्तु ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अपीलार्थी/अभियुक्त की अपराध से सम्बद्धता प्रतीत नहीं हो रही हो। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य अनुसंधानिक साक्ष्य सहित समग्र साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण के विरूद्ध धारा-457 व 380 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन के सभी साक्षीगण ने समग्र रूप से आरोपित अनुरूप घटना के तथ्यों की पुष्टिदायक साक्ष्य दी है तथा उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई गम्भीर एवं विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर अभियोजन कहानी को संदिग्ध मानकर अभियुक्त की अपराध से सम्बद्धता होना प्रकट नहीं होता हो।

17. जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त को मौके पर चोरी का सामान ले जाते हुये पकड़ने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध करवाये जाने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मौके पर पकड़े गए एक चोर को पुलिस को सुपुर्द किये जाने किन्तु कार्यवाही पुलिस में चोर की पुलिस को सुपुर्दगी के संबंध में कोई अंकन नहीं होने के तर्क का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट रहा है कि परिवादी देवलाल द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पुलिस थाना तालेडा में दिनांक 11.06.2010 को प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 11.06.2010 को सुबह तीन बजे की घटना होना बताया है तथा अज्ञात लोगों द्वारा मोटर साईकिल पर होना अंकित किया गया है। यद्यपि साक्ष्य के दौरान मोटर साईकिल के गिर गये व्यक्ति द्वारा अपना नाम लक्ष्मण बताये जाने का भी कथन किया गया है किन्तु केवल तहरीरी रिपोर्ट में नामजद रूप से अंकन नहीं कर अज्ञात के रूप में अंकन कर दिये जाने एवं कार्यवाही पुलिस में अंकित नहीं किये जाने मात्र के आधार पर

Authenticated Document

ही अनुसंधानिक रूप से एवं तत्पश्चात न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप को सिरे से नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के कम पढे लिखे व्यक्तियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे घटनाक्रम को हूबहू विधि के जानकार व्यक्तियों के समान व्यक्त करे। उनके द्वारा सामान्य रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, उसे अपनी साक्ष्य के माध्यम से अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका कोई युक्तियुक्त खण्डन भी बचाव पक्ष की ओर से उनके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया जा सका है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतः युक्तिसंगत एवं तर्कसंगत होना ही जान पड़ता है।

18. जहां तक चश्मदीद गवाह द्वारा अभियुक्त का नाम नहीं बताये जाने एवं अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-3 नरेश परिवादी का भाई होने की उसकी साक्ष्य हितबद्ध साक्ष्य होने से उसके कथनों पर विश्वास नहीं किये जाने का प्रश्न है तो केवल परिवादी का भाई होने के आधार पर ही उसकी सुदृढ एवं सकारात्मक साक्ष्य को नकारा जाना विधितः किसी प्रकार युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत माने जाने योग्य नहीं है, विशेषतः जबकि उसके द्वारा अपनी विश्वसनीय एवं सम्पुष्टकारी साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक की पुष्टि की गई है। इसी प्रकार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्त का नाम नहीं बताया जाना भी ऐसा आधार नहीं हो सकता है, जिसके आधार पर अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र हो, विशेषतः जबकि अभियोजन के अन्य साक्षीगण ने अपनी सुस्पष्ट मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि की है तथा जिसका कोई युक्तियुक्त खण्डन भी बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया जा सका है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में छोटे मोटे एवं तुच्छ प्रकृति के विरोधाभास आना प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में स्वाभाविक ही प्रतीत होते है, ऐसे में उक्त सन्दर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष अभिलिखित किया है, उसमें भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होता है।

19. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण में बताई गई जब्ती के सभी गवाहान् पुलिसकर्मी हैं तथा कोई जब्ती के कोई स्वतंत्र गवाहान नहीं रखे गए हैं फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने किस आधार पर जब्ती को प्रमाणित माना, इसका कोई उल्लेख

अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं किया है, जिससे संपूर्ण आक्षेपित निर्णय गंभीर रूप से विधिक त्रुटि से ग्रसित होना परिलक्षित होता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के रूप में पी.डब्ल्यू.6 राधेश्याम परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफतार किया था तथा लक्ष्मण की सिलेण्डर बरामद कराने की सूचना प्रदर्श पी.6 के आधार पर उसके रिहायशी घर से एक भरा व एक खाली सिलेण्डर बरामद किया था तथा बरामदगीस्थल का नक्शा मौका बनाया था तथा जिस स्थान से चोरी की, उस स्थान के बारे में सूचना प्रदर्श पी.11 दी गई थी। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को यह सुझाव अवश्य दिया गया था कि बरामदगी के गवाह में पुलिस कांस्टेबल गवाह है, जिसे इस साक्षी ने गलत होना बताया है। इस सम्बन्ध में अन्य साक्ष्य को देखा जाये तो सैयद अनवर पी.डब्ल्यू.8 पुलिस कांस्टेबल है, जिसने अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण के घर से राधेश्याम ए.एस.आई द्वारा एक भरा हुआ और एक खाली गैस सिलेण्डर बरामद करने तथा उसकी फर्द प्रदर्श पी.7 होने की साक्ष्य दी है तथा इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है। एक अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू.9 रामकरण भी पुलिसकर्मी है, जो अभियुक्त लक्ष्मण की गिरफ्तारी एवं तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 एवं खाली गैस सिलेण्डर की बरामदगी प्रदर्श पी.8 का साक्षी है, जिससे एक पंक्ति का प्रतिपरीक्षण किया गया है, जिसमें भी सिलेण्डर ग्राम ठीकरदा से बरामद किये जाने के तथ्य की ही पुष्टि होती है। इसी प्रकार एक अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू.11 विनोद कुमार है, जो पुलिसकर्मी नहीं होकर राजकीय अध्यापक के रूप में रहा है तथा इस साक्षी ने भी अभियुक्त लक्ष्मण सिंह की सूचना के आधार पर उसके रिहायशी मकान से गैस सिलेण्डर जरिये फर्द प्रदर्श पी-7 अनुरूप बरामद करने की साक्ष्य दी है तथा इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.10 रामरतन एक पुलिसकर्मी साक्षी है, जिसने लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया जाना तथा उसकी सूचना के आधार पर एक गैस सिलेण्डर जरिये फर्द प्रदर्श पी.8 अनुरुप जब्त किया जाना बताया है तथा एक पंक्ति के प्रतिपरीक्षण में बरामदगी अभियुक्त के ठीकरदा स्थित घर से होने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बरामदगी

के सभी गवाहान केवल पुलिसकर्मी ही नहीं रहे है वरन् उनमें एक राजकीय अध्यापक भी सम्मिलित है, जिन्होंने अभियोजन कहानी के समर्थन में अपनी साक्ष्य दी है तथा इस आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने बरामदगी को सन्देह से परे प्रमाणित मानने में भी किसी प्रकार की वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है, विशेषतः जबकि जब्ती के गवाह रहे उक्त पुलिसकर्मी एवं राजकीय अध्यापक की अपीलार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की रंजिश अथवा अदावत होने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है। केवल पुलिसकर्मी एवं राजकीय अध्यापक के गवाह होने मात्र से प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से की गई बरामदगी को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

20. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 14.12.2018 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा-457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषसिद्ध कर दण्डित करने में कोई तथ्यात्मक या कानूनी भूल नहीं की गई है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री एवं सुस्थापित कानूनी स्थिति के आधार पर पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता, अनुचितता एवं अनियमिता प्रकट नहीं होती है तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त की हस्तगत फौजदारी अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हो जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य हो जाता है।

आ दे श

21. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील अस्वीकार की जाकर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 102/2011 सी.आई.एस.संख्या 562/2014 राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मण व अन्य अन्तर्गत धारा-457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 14.12.2018 को पारित किये गये आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

22. अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, इसलिए अपील में सजा का वारण्ट तैयार कर निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अपीलार्थी/अभियुक्त लक्ष्मण को सजा भुगताने के लिये अविलम्ब लौटाई जावे।

(संदीप कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

23. निर्णय आज दिनांक 30 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

THAKUR SINGH

"Authenticate Document"
Digitally signed by THAKUR SINGH
Date: 2026.03.30 17:48:28 +0530

सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document